न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 05/2024
ऑनलाईन जीसीएमएस नंबर 2024/169

निर्णय 19.12.2024

विनोद कंवर पत्नि मोहनसिंह राजपूत निवारी ग्राम धर्मारा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—अपीलान्ट—

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—रेस्पोन्डेन्ट—

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम जाखड़ अभिभाषक अपीलान्ट
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपील अपीलान्टस निम्न आधारो पर प्रस्तुत है कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून प्राकृतिक न्याय एवं रूहेदाद मिसल के तथा उसुलो के होने के कारण निरस्त योग्य है। रौही मौजा धर्मास तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर के खसरा नम्बर 12 तादादी 3.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 13 तादादी 2.58 हैक्टेयर में 1/8 हिस्सा व संयुक्त खसरा नम्बर 61 तादादी 6.92 हैक्टेयर, मय गैर मुमकिन रास्ता 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126 तादादी 1.59 हैक्टेयर में 1/3 हिस्साव खसरा नम्बर 9 तादादी 5.8900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 10 तादादी 5.82 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा भूमि अपीलान्ट का खातेदारी रकबा है, जिस पर अपीलान्ट बदस्तूर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है उपरोक्त वर्णित रकबा पहले उमानकंवर पत्नि बचनसिंह जाति राजपूत निवासी धर्मास के नाम से दर्ज रेकार्ड है। उक्त रकबा की वसीयत उमानकंवर के द्वारा दिनांक 15.02.2012 को अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित करवाई थी । उमानकंवर का स्वर्गवास दिनांक 14.06.2017 को हो गया था तत्पश्चात अपीलान्टा ने वसीयतनामा के आधार पर राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज करवाने हेतु अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र मय सबूत दिनांक 18.09.2017 को प्रस्तुत किया था। अदालत मातहत के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र की सम्पूर्ण जांच कर साक्ष्य व सबूत आदि लेकर तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट लेकर विधिवत तरीके से दिनांक 09.04.2018 को निर्णय कर दिया तथा पटवारी हल्का को निर्देशित किया कि रौही मौजा धर्मास तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर के खसरा नम्बर 12 तादादी 3.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 13 तादादी 2.58 हैक्टेयर में 1/8 हिस्सा व संयुक्त खसरा नम्बर 61 तादादी 6.92 हैक्टेयर, मय गैर मुमकिन रास्ता 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126 तादादी 1.59 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा व खसरा नम्बर 9 तादादी 5.8900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 10 तादादी 5.82 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा भूमि का नामान्तरण वसीयतग्रहिता (अपीलान्ट) विनोदकंवर पत्नि मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी धर्मास तहसील श्रीडूंगरगढ के नाम दर्ज कर निस्तारित करवाया जावे बाद नामान्तरण कार्यवाही के पालना रिपोर्ट भी पटवारी हल्का से मंगवाई जावे और पटवारी हल्का को उक्त निर्णय की प्रति पत्रांक के साथ पालनार्थ भेजी गई। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा उक्त आदेश की पालना न करके पटवारी हल्का अपनी टिप्पणी करता है कि सम्पति वसीयतकर्ता की स्वरअर्जित नहीं है बड़ा ही हास्यास्पद है, क्योंकि पटवारी हल्का को केवल अपने अधिकारी द्वारा पारित निर्णय की पालना करनी थी न कि टिप्पणी करना ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरण पुर्णतयाः विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.04.2018 की पालना पटवारी हल्का व गिरदावर के द्वारा नामान्तरण भर कर अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये परन्तु पटवारी हल्का एवं गिरदावर के द्वारा तो कानून की सारी सिमांए ही लांघ दी गयी उन्होंने अदालत के आदेश की पालना न करके उल्टा अदालत मातहत को ही आदेश पारित करवाया कि अदालत मातहत के द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ अपील किया जाना उचित है, इससे स्पष्ट है कि पटवारी हल्का एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.23 11:52:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

गिरदावर की मनमानी कानून की सारी सिमांए पार कर कुछ भी करने में ये व्यक्ति हिचकिचाते नहीं है, ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन इन्तकाल कतई गलत एवं गैर कानूनी तरीके से खारिज किया गया है, जिसे निरस्त किया जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 09.04.2018 की पालना में नामान्तरण स्वीकृत करने का आदेश प्रदान किया जावे साथ ही पटवारी हल्का एवं गिरदावर के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जावे ताकि भविष्य में ऐसे कृत्य की पुनरावृति ना हो। जब अदालत मातहत ने प्रकरण की सम्पूर्ण जांच कर सबूत एवं साक्ष्य लेकर तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट आदि लेकर तथा सार्वजनिक सूचना अखबार में प्रकाशित करवा कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया था तो उस निर्णय की पालना ही पटवारी हल्का एवं गिरदावर को करनी थी न कि अपनी टिप्पणी, ऐसी स्थिति में पटवारी हल्का व गिरदावर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जावे एवं अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त फरमाया जाकर अदालत मातहत के आदेश दिनांक 09.04.2018 की पालना में नामान्तरण स्वीकृत करने का आदेश प्रदान किया जावे। अपीलाधीन नामान्तरण में गिरदावर (भू.अ. निरीक्षक) ने अपनी जांच में लिखा है कि वसीयत कानूनन सही नहीं है बड़ा ही हास्यास्पद है, क्योंकि वसीयत की वैधता या अवैधता की आंकलन करने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही है, अन्य को नहीं परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में तो गिरदावर (भू.अ. निरीक्षक) ने वसीयत को ही गलत साबित करके एक मिसाल कायम की है, ऐसे कर्मचारी गिरदावर (भू.अ. निरीक्षक) के विरूद्ध कानून सख्त कानूनी कार्यवाही की जानी आवयक है अन्यथा बार बार न्यायिक प्रक्रिया का माखोल उड़ाया जावेगा, ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरण सं. 288 निरस्त फरमाया जाकर पुनः अदालत मातहत के ओदश दिनांक 09.04.2018 की पालना में नामान्तरण अपीलान्ट के नाम से स्वीकृत करने का आदेश पारित किया जावे। एक राजस्व अधिकारी के आदेश की पालना उनके मातहत कर्मचारी न करके उल्टा राजस्व अधिकारी को ही आदेशित करते है कि उनके द्वारा किया गया निर्णय गलत है, उसके विरूद्ध अपील किया जाना उचित है, अपने आप में ही हास्यास्पद है, इससे स्पष्ट है कि पटवारी हल्का एवं गिरदावर (भू.अ. निरीक्षक) की मनमानी कितनी है, जब अपीलान्ट ने उन्हे कोई लालच नहीं दिया तो उन्होने कानून की सारी हदें ही पार कर दी, ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ के निर्णय दिनांक 09.04.2018 की पालना में अपीलान्ट के नाम से नामान्तरण स्वीकृत करने का आदेश प्रदान किया जावे साथ ही पटवारी हल्का एवं गिरदावर (भू.अ. निरीक्षक) के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही एवं एफ आई आर दर्ज करवाई जावे। अपीलान्टस को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हुई क्योंकि अदालत मातहत के द्वारा अपीलान्टस को कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही उसे सुनवाई का कोई अवसर ही प्रदान किया गया, तत्पश्चात वैश्विक महामारी कोरोना आ जाने के कारण भी अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को नहीं हुई । अपीलान्ट अपने उपरोक्त रकबा की के सी सी बनवाने के लिए पटवारी हल्का के पास दिनांक 06.06.2022 को गयी तो पटवारी हल्का ने रेकार्ड देख कर बताया कि तुम्हारा इन्तकाल तो खारिज कर दिया गया है, इसलिए तुम्हारे नाम से के सी सी नहीं बन सकती है, तब अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश की नकल देने के लिए पटवारी हल्का से कहा तो पटवारी हल्का ने उसी दिन उसे नकल दे दी जिसे लेकर अपीलान्ट अपने गांव चली गयी और अपने परिवार में सलाह मशवरा किया और रूपयो पैसो की व्यवस्था करके आज दिनांक 15.06.2022 को बीकानेर आकर वकील नियुक्त कर बिना किसी प्रकार की देरी किए अपील प्रस्तुत कर रही है, अपीलान्ट ने जानबूझ कर कोई देरी नहीं की है, उक्त देरी उसे जानकारी न होने के कारण हुई है, इसलिए डिले कन्डोन फरमाई जाकर अपील दर्ज रजिस्टर फरमाई जावे। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानूनी मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र अपील के साथ अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अपील अन्दर मियाद पूर्ण कोर्टफीस व क्षेत्राधिकार अदालत वाला है। बाकी वजुआत वर वक्त बहस बाद मुआयना मिसल पेश किए जावेगे। अतः अपील अपीलान्टस प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से अर्ज है कि अपीलाधीन नामान्तरण सं. 288 दर्ज दिनांक 07.02.2019 निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.23 11:52:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

दिनांक 06.03.2019 निरस्त फरमाया जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 09.04.2018 की पालना में अपीलान्टा के नाम से नामान्तरण दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

अपीलान्ट की उक्त अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकारराज उपस्थित। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा दिनांक 09.04.2018 को वसीयत पत्रावली संख्या 12/2017 को निर्णय पारित कर पटवारी हल्का धर्मासि को निर्णय की पालना करने के आदेश जारी किये जाकर नामान्तरकण कार्यवाही के पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करनें हेतु आदेशित किया गया था।, पटवारी हल्का द्वारा वसीयत प्रकरण में पारित निर्णय की पालना में नामान्तकरण की कार्यवाही दिनांक 10.02.2019 में निर्णय दिनांक 09.04.2018 की पालना में नामान्तरकरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं उचित निर्णय की टिप्पणी के साथ सम्पति वसीयतकार्ता की स्वअर्जित नहीं है अंकित किया गया है। एवं भू.अ.निरीक्षक द्वारा अपनी टिप्पणी में यह तथ्य अंकित किये गये है कि वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत की गयी सम्पति स्वअर्जित नहीं है। पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट दिनांक 06.09.2017 से स्पष्ट है। अतः वसीयत कानूनन सही नहीं है। नामान्तरकरण स्वीकृत होने से राज्य सरकार को राजस्व नुकसान होगा। अतः नामान्तकरण खारिज किया जावे तथा निर्णय के खिलाफ अपील किया जाना उचित है, जिसके आधार पर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा उक्त वसीयत के नामान्तरकरण को दिनांक 06.03.2019 को अस्वीकृत किया गया है।

हमनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा वसीयत प्रकरण 12/2017 में पारित निर्णय दिनांक 09.04.2018 में सम्पूर्ण जांच कर सबूत एवं साक्ष्य लेकर तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट आदि लेकर तथा सार्वजनिक सूचना अखबार में प्रकाशित करवा कर निर्णय पारित किया था। उस निर्णय की पालना ही पटवारी हल्का एवं गिरदावर को करनी थी न कि अपनी टिप्पणी। लिहाजा नामान्तरण सं. 288 दिनांक 07.02.2019 को निरस्त किया जाकर अपील तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित (रिमांड) की जाती है कि तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ पुनः विधिक रूप से जांच कर अपीलांट को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि संवत रूप से ईन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही करे।

आदेश आज दिनांक 19.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.23 11:52:01 IST
Reason: SelfAttested